Date 03/07/2020

Saathi

B.A. PART-2nd (H)
POLITICAL SCIENCE
PAPER - IIIrd (Indian Government and Politics)
CH - Ist (Formation of the Constituent Assembly)
Lecture no. - 03 (After Summer Vacation)

By:- OM KUMAR SINGH
Assistant Professor
Deptt. of Pol. Science
A.B. COLLEGE, JAYNAGAR
L.N.M.U. DARBHANGA

भारतीय संविधान निर्माण

संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसम्बर, 1946 को हुई, डॉ० सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया।

11 दिसम्बर, 1946 को डॉ० राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष और एच०सी० मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया।

13 दिसम्बर, 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने के साथ ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। यह उद्देश्य प्रस्ताव भारत में हुए राजनीतिक आंदोलनों के प्रमुख मुद्दों के उचित सारांश के रूप में था। साथ ही, इसमें संवैधानिक संरचना के ढाँचे एवं मूल दर्शन की स्पष्ट झलक थी। इसमें शामिल मुख्य बातें निम्नलिखित हैं -

(i) भारत एक पूर्ण संप्रभु सम्पन्न गणराज्य होगा, जो अपना संविधान स्वयं बनाएगा।

(ii) भारतीय संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे, जो उस समय ब्रिटिश भारत में हैं या देशी रियासतों में, या इनसे बाहर ऐसे क्षेत्र हैं, जो संप्रभुता संपन्न भारत में शामिल होना चाहते हैं।

(iii) भारत के नागरिकों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय प्रदान की जाएगी।

Page No.

Scanned with CamScanner

Date __/__/____

(iv) अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जातियों, जनजातीय क्षेत्रों के लोगों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी।

(v) अवशिष्ट शक्तियाँ इकाइयों के पास रहेंगी।

(vi) स्वतंत्र संप्रभु भारत की समस्त शक्तियों एवं प्राधिकारों का अंतिम स्रोत भारत की जनता होगी।

वर्णित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी, 1947 को सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया और इस प्रस्ताव ने संविधान के स्वरूप व प्रस्तावना के निर्माण में मुख्य भूमिका अदा की।

संविधान निर्माण हेतु विभिन्न समितियाँ भी गठित की गई—

समितियाँ		अध्यक्ष
(1) संघीय समिति	——	जवाहरलाल नेहरू
(2) संघ शक्ति समिति	——	जवाहरलाल नेहरू
(3) प्रांतीय संविधान समिति	——	सरदार वल्लभभाई पटेल
(4) प्रारूप समिति	——	डॉ० बी० आर० अंबेडकर
(5) मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति	——	सरदार वल्लभभाई पटेल
(i) मूल अधिकार उप-समिति	—	जे० बी० कृपलानी
(ii) अल्पसंख्यक उप-समिति	—	एच० सी० मुखर्जी
(6) प्रक्रिया नियम समिति संचालन समिति	——→	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद
(7) राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति		

वर्णित समितियों में सबसे मुख्य समिति थी - प्रारूप समिति।

Next

Page No.

Scanned with CamScanner

Saathi

Date __/__/____

प्रारूप समिति (Drafting Committee) का गठन डॉ० बी० आर० अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को किया गया, जिसमें 7 सदस्य थे, जो इसप्रकार हैं —

(i) डॉ० बी० आर० अंबेडकर (अध्यक्ष)
(ii) एन० गोपालस्वामी आयंगर
(iii) अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर
(iv) डॉ० के० एम० मुंशी
(v) सैय्यद मोहम्मद साद्दुल्ला
(vi) एन० माधव राव
(इन्हें बी० एल० मित्र के स्थान पर लिया गया, क्योंकि उन्हीं स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था)
(vii) टी० टी० कृष्णमाचारी (1948 में डी० पी० खेतान के निधन के बाद)

संविधान सभा में विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श हेतु तीन वाचन हुए —

(i) प्रथम वाचन —
4 नवंबर, 1948 — 9 नवंबर, 1948.

(ii) द्वितीय वाचन —
15 नवंबर, 1948 — 17 अक्टूबर, 1949

(iii) तृतीय वाचन —
14 नवंबर, 1949 से 26 नवंबर, 1949 तक

भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन लगे। इस दौरान संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुईं, जिसमें संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। संविधान निर्माण पर लगभग 64 लाख रुपये खर्च हुए। अंतिम रूप से तैयार संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची एवं 22 भाग थे।

Scanned with CamScanner

Saathi

Date __/__/____

26 नवंबर, 1949 को संविधान को अपनाया गया, उसी दिन संविधान के कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया, शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी को लागू करने के पीछे ऐतिहासिक कारण है, चूँकि इसी दिन 26/11/1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार भारतीय स्वाधीनता दिवस मनाया गया था।

× 'भारतीय संविधान के पिता' की संज्ञा डॉ० बी० आर० अंबेडकर दी जाती है।

× ——— × ——— × ——— × ——— ×

Scanned with CamScanner